



## विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन

क्रमांक/अकादमिक/सम्बद्धता/2019/ 914

दिनांक : 05-11-19

प्रति,

प्राचार्य,  
शिखर टीचर ट्रेनिंग इन्स्टीट्यूट,  
36/ए, चर्च के पास, ग्राम-भोलियावास, जिला-नीमच।

**विषय :-** क्षेत्रिय निदेशक, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्, नई दिल्ली से प्राप्त विज्ञापन आदेश के संबंध में।

**संदर्भ :-** क्षेत्रिय निदेशक, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्, नई दिल्ली से प्राप्त विज्ञापन आदेश क्रमांक/No.WRC/APW05968/223670/B.Ed./310th/2019/205843, Date 04.09.2019

उपर्युक्त संदर्भित विषयान्तर्गत लेख है कि, आपके महाविद्यालय में संचालित बी.एड. पाठ्यक्रम की अस्थाई सम्बद्धता-निरंतरता प्रमाण-पत्र क्रमांक/अकादमिक/सम्बद्धता/2019/774, दिनांक 03.04.2019, के द्वारा प्रदान की गई है। महाविद्यालय के द्वारा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (एन.सी.टी.ई.) नई दिल्ली के रेग्यूलेशन 2014 का पालन नहीं किये जाने से एन.सी.टी.ई. से बी.एड. पाठ्यक्रम का उक्त संदर्भित विज्ञापन आदेश प्राप्त हुआ है, जिसे आदेशानुसार संकायाध्यक्षों की समिति की बैठक दिनांक 25.09.2019 में प्रस्तुत किया गया था, संकायाध्यक्षों की समिति द्वारा अनुशंसा की गई कि :-

“शिखर टीचर ट्रेनिंग इन्स्टीट्यूट, नीमच हेतु राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्, नई दिल्ली से प्राप्त विज्ञापन आदेश क्रमांक/ No.WRC/APW05968/223670/B.Ed./310th/2019/205843, Date 04.09.2019, के बिन्दु क्रमांक 09 के अनुसार उक्त आदेश आगामी सत्र से प्रभावशील किया जाये।

अतः उपरोक्त महाविद्यालय को निर्देशित कर दिया जावे कि, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् नई दिल्ली द्वारा उल्लेखित मापदण्डों की पूर्ति कर पुनः रिकग्नाईजेशन आदेश प्राप्त करें।”

संकायाध्यक्षों की समिति की उक्त अनुशंसा को माननीय कुलपतिजी द्वारा अनुमोदित किया गया है। अतः निर्देशित किया जाता है कि, उक्तानुसार की गई अनुशंसा का अनुपालन सुनिश्चित करें अन्यथा आगामी शैक्षणिक सत्र से महाविद्यालय में संचालित बी.एड. पाठ्यक्रम की सम्बद्धता-निरंतरता प्रदान नहीं की जावेगी, जिसका उत्तरदायित्व महाविद्यालय का होगा।

आदेशानुसार

कुलसचिव

दिनांक : 05-11-19

**संलग्न :-** संदर्भित आदेश की छायाप्रति।

क्रमांक/अकादमिक/सम्बद्धता/2019/ 915

**प्रतिलिपि :-**

1. आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग, म.प्र.शासन, भोपाल।
2. क्षेत्रिय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, उज्जैन संभाग, उज्जैन।
3. क्षेत्रिय निदेशक, पश्चिम क्षेत्रिय समिति, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्, जी-7, सेक्टर-10, द्वारका, नई दिल्ली-110075,
4. क्षेत्रिय निदेशक, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्, मानस भवन, श्यामला हिल्स, भोपाल।
5. निदेशक, महाविद्यालयीन विकास परिषद्, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन।
6. सचिव, श्री साईशंकर एज्यूकेशन सोसायटी, 36/ए, चर्च के पास, ग्राम-भोलियावास, जिला-नीमच।
7. प्राचार्य, स्वामी विवेकानंद शा.स्नातकोत्तर(अग्रणी) महाविद्यालय, नीमच।
8. उपकुलसचिव/सहायक कुलसचिव, परीक्षा/गोपनीय/लेखा विभाग, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन।
9. प्रभारी, ऑनलाईन सेल, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन।
10. प्रभारी कम्प्यूटर सेंटर की ओर प्रेषित कर सूचित है कि, उक्त पत्र को विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
11. कुलपति/कुलसचिव के निजी सहायक, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन। की ओर सूचनार्थ प्रेषित।